छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2018

क्रमांक एफ 3-80/2013/नौ/55-4 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को "सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी" के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100+ ग्रेड वेतन रूपये 6600/- प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय है, पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में दर्शाये गये स्थान पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र.	नाम	प्रवर्ग	विभाग	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुश्री खुशबू भांगे	अनारक्षित (महिला)	बायोटेक्नोलॉजी	पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

1. उपर्युक्त प्रत्याशी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा।
2. उपर्युक्त प्रत्याशी की नियुक्ति अनन्तिम है तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में जिन प्रत्याशियों के विरूद्ध विपरीत टिप्पणी पाई जाएगी, उनकी सेवाएं तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।
3. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई जो की जा सकती है, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।
4. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे, तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह की अवधि में से जितनी अवधि कम हो, उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

निरंतर....